



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02-08-2020

दिनांक 01/02-08-2020 को रात्रि थाना सआदतगंज 01, आटायाना 01, मडियाँव 02 गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 मध्य

अवैध ढाराब के साथ गिरफ्तार।

बंधरा:-दिनांक 01-08-2020 को एस0आई0 श्री टाव नारायण सिंह थाना बंधरा लखनऊ द्वारा अभि0 1-किटान पुत्र दयाराम निवासी ग्राम महेन्द्र थाना बंधरा लखनऊ को ग्राम महेन्द्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची ढाराब बरामद कर थाना बंधरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

बंधरा:-दिनांक 02-08-2020 को एस0आई0 श्री सन्तोदा कुमार थाना बंधरा लखनऊ द्वारा अभि0 1-सूरज पुत्र हरीटा चन्द्र निवासी ग्राम टिकरा थाना बिसवां जनपद सीतापुर को ग्राम नारायण पुर चक अमावां से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची ढाराब बरामद कर थाना बंधरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध ढाराब के साथ गिरफ्तार।

थाना चिनहट:-दिनांक 01-08-2020 को एस0आई0 श्री संजय कुमार वर्मा थाना चिनहट द्वारा अभियुक्त मुलायम यादव पुत्र राम सागर यादव निवासी ग्राम खेवली थाना कोतवाली देवां जनपद बाराबंकी को साईं ढाबा कमता, चिनहट से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 15 अद्द अवैध क्वार्टर देली ढाराब बरामद कर थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना चिनहट:-दिनांक 01-08-2020 को एस0आई0 श्री सुर्दटान सिंह थाना चिनहट लखनऊ द्वारा अभि0 1-हरेन्द्र सिंह पुत्र अयोध्या सिंह निवासी ग्राम हरौरी थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी को ग्राम धावां अपट्टान से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची ढाराब बरामद कर थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पटिचमी

अभियुक्त गिरफ्तार।

बाजारखाला:-दिनांक 02-08-2020 को थाना बाजारखाला द्वारा बताया गया कि दिनांक 01-08-2020 को वादिनी निवासी बाजारखाला थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा थाना बाजारखाला पर अपनी 08 वर्दीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 354क/504 भादवि व धारा 07/08 पोस्को एक्ट



का अभियोग बनाम 1-नदीम के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रहलाद सिंह थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 01-08-2020 को एस0आई0 श्री प्रहलाद सिंह थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1-नदीम पुत्र मो0 इटितयाक निवासी 346/475 कच्ची कालोनी मेंहदीगंज थाना बाजारखाला लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर मेंहदीगंज से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बाजारखाला पर आवंट्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना कैसरबागः-दिनांक 02-08-2020 को थाना कैसरबाग द्वारा बताया गया कि श्री संतोदा उर्फ सोनू सुर्वे पुत्र श्री जगन्नाथ सुर्वे निवासी-होटल डिवाइन क्लासिक थाना कैसरबाग लखनऊ, मूलपताः-ग्राम-खम्भाले थाना विटा जिला सांगली महाराष्ट्र ने थाना कैसरबाग पर सूचना दिया कि दिनांक 01-08-2020 को समय करीब 5.00 बजे ाम को उसके होटल में काम करने वाला अक्षय उम्र करीब 27 पुत्र श्री संजय, निवासी-ग्राम मुरली थाना पलूस जनपद सांगली, महाराष्ट्र जो होटल में कमरा नं0 जी-3 में रहता था, ने कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया था जब होटल के अन्य कर्मचारियों द्वारा खिड़की से देखा गया तो अक्षय ने नायलान की रस्सी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री जर्नादिन सिंह यादव मो0-7839861029 द्वारा आवंट्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अक्षय उक्त होटल में मैनेजर का काम करता था। मृतक अविवाहित था।

थाना गाजीपुरः- दिनांक 02-08-2020 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि श्री मोहम्मद खुर्शीद पुत्र नवी अहमद निवासी-न्यू इस्माइलगंज सुरेन्द्र नगर थाना गाजीपुर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 01-08-2020 को समय करीब 12.00 बजे उसका पुत्र हसमत अली उम्र 13 वर्ष घर से गली में घूमने गया था, ाम करीब 5.00 बजे उसके पुत्र हसमत ने पड़ोस में ही एक खण्डहर में पेड़ पर प्लास्टिक की रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया है जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री विजय ांकर सिंह मो0 9415077064 द्वारा आवंट्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं।